सं.ए-45011/4/2020-प्रशा.III

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

****

नई दिल्ली, दिनांकः 18 मार्च, 2020

कार्यालय ज्ञापन

अधोहस्ताक्षरी को आर्थिक कार्य विभाग से संबंधित जनवरी, 2020 माह के दौरान महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के संबंध में मासिक सार के अवर्गीकृत भाग को परिचालित करने का निदेश हुआ है।

सुरिन्द्र पाल सिंह 18.3.2020

(सुरिन्दर पाल सिंह)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

दूरभाषः 23092100

सेवा में,

1. केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. उपाध्यक्ष नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
3. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
4. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत के उप राष्ट्रपति के सचिव, 6, मौलाना आजाद मार्ग, नई दिल्ली।
6. प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
7. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली।
8. सभी सदस्य, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
9. सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. राज्य मंत्री (वित्त) के निजी सचिव, वित्त सचिव के प्रधान निजी सचिव, सचिव (आर्थिक कार्य) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (राजस्व) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (व्यय) के प्रधान निजी सचिव, सचिव(दीपम) के प्रधान निजी सचिव।
11. मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
12. अपर सचिव (श्री ए. गिरिधर), मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
13. डॉ. सी.एस. महापात्रा, अपर सचिव(एफएस एंड सीएस), आर्थिक कार्य विभाग।
14. श्री के. राजारामन, अपर सचिव (प्रशासन एंड निवेश), आर्थिक कार्य विभाग।
15. श्री समीर कुमार खरे, अपर सचिव (एफबी एंड एडीबी), आर्थिक कार्य विभाग।
16. सुश्री मीरा स्वरूप, अपर सचिव और वित्त सलाहकार (वित्त)।
17. श्री संजीव सान्याल, प्रधान आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
18. आर्थिक कार्य विभाग के सभी प्रभागाध्यक्ष।
    संयुक्त सचिव (बजट)/ संयुक्त सचिव (आईपीएफ)/ संयुक्त सचिव (एफएम)/ संयुक्त सचिव (बीसी एंड आईईआर)/संयुक्त सचिव(निवेश) / सलाहकार (सीएंडएसी/एफएसएलआर/ एफएस एंड सीएस)/ सलाहकार (आईईआर)/सीएएए।
19. श्री अरूण कुमार, सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
20. सुश्री राजश्री रे, सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
21. श्री राजेश मल्होत्रा, अपर महानिदेशक (एम एंड सी), वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
22. गार्ड फाइल - 2020

सं. ए-45011/4/2020-प्रशा.III

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

विषय: जनवरी, 2020 माह के दौरान आर्थिक कार्य विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के संबंध में मासिक सार।

1. वृहत-आर्थिक सिंहावलोकन

1.1 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 2020 को जारी सकल घरेलू उत्पाद के पहले संशोधित आकलनों के अनुसार वर्ष 2017-18 में 7.0 प्रतिशत और वर्ष 2016-17 में 8.3 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2018-19 में जीडीपी में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

1.2 सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल पूंजी निर्माण वर्ष 2017-18 में 34.2 प्रतिशत और 2016-17 में 32.0 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2018-19 में 32.2 प्रतिशत रहा।

1.3 सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में वर्ष 2017-18 में 32.4 प्रतिशत और 2016-17 में 31.3 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2018-19 में 30.1 प्रतिशत की सकल बचत रही।

1.4 राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा 07 जनवरी, 2020 को जारी राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान में दिनांक 31 मई, 2019 को जारी 2018-19 के जीडीपी के अस्थायी अनुमानों की तुलना में वर्ष 2019-20 में 5.0 प्रतिशत की बढ़त दर्शाई गई है।

1.5 दिनांक 31 मई, 2019 को जारी 2018-19 के सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) के अस्थायी अनुमानों पर सकल मूल्यवर्धित (जीवीए) कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों हेतु क्रमशः 2.8 प्रतिशत, 2.5 प्रतिशत और 6.9 प्रतिशत की क्षेत्रीय बढ़त के साथ 2019-20 में सकल मूल्यवर्धित (जीवीए) 4.9 प्रतिशत की (प्रथम अग्रिम अनुमान) दर पर बढ़ने का अनुमान है।

1.6 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (नई श्रृंखला-संयुक्त) पर आधारित हैडलाइन मुद्रास्फीति दिसम्बर, 2018 में 2.1 प्रतिशत की तुलना में दिसम्बर, 2019 में 7.35 प्रतिशत थी। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित मूद्रास्फीति दिसम्बर, 2018 में 3.5 प्रतिशत की तुलना में दिसम्बर, 2019 में 2.59 प्रतिशत रही। औद्योगिक श्रमिकों (सीपीआई-आईडब्ल्यू) हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की दृष्टि से मुद्रास्फीति नवम्बर, 2018 में 4.9 प्रतिशत की तुलना में नवम्बर 2019 में 8.61 प्रतिशत थी। दिसम्बर, 2019 में कृषि श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और ग्रामीण श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्रमश: 11.06 प्रतिशत और 10.64 प्रतिशत रहा।

1.7 जनवरी 2020 में पॉलिसी रेपो दर 5.15 प्रतिशत ही रहा। पिछले वर्ष की समान अवधि में 14.5 प्रतिशत की तुलना में 03 जनवरी, 2020 को बैंक ऋण बढ़त 7.6 प्रतिशत हो गई। 18 जनवरी, 2019 को 7.32 प्रतिशत की तुलना में 17 जनवरी, 2020 को 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल 6.86 प्रतिशत रहा।

1.8 भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2019, मार्च अंत के 411.9 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर से 50.3 बिलियन अमरीकी डालर की बढ़त दर्शाते हुए 17 जनवरी, 2020 की स्थिति के अनुसार 462.2 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। नवम्बर, 2019 में 71.5 रुपए प्रति अमरीकी डालर की तुलना में रुपए की औसत मासिक विनिमय दर (संदर्भ दर) दिसम्बर, 2019 माह में 71.2 रुपए प्रति अमरीकी डालर रही।

1.9 केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (वर्ष 2011-12 की नई श्रृंखला पर आधारित) द्वारा जारी त्वरित अनुमानों के अनुसार, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में नवम्बर, 2018 में 0.2 प्रतिशत की बढ़त की तुलना में नवम्बर, 2019 में 1.8 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। संचयी आधार पर अप्रैल से नवम्बर, 2019-20 की अवधि हेतु औद्योगिक बढ़त अप्रैल से नवम्बर, 2018-19 के दौरान 5.0 प्रतिशत की बढ़त की तुलना में 0.6 प्रतिशत थी। आठ मुख्य उद्योगों में दिसम्बर, 2018 में 2.1 प्रतिशत की तुलना में दिसम्बर, 2019 में 1.3 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई है। अप्रैल से दिसम्बर 2018-19 के दौरान 4.8 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल से दिसम्बर 2019-20 के दौरान मुख्य उद्योगों की बढ़त 0.2 प्रतिशत रही।

1.10 भारत का व्यापारिक माल निर्यात दिसम्बर, 2018 के दौरान 27.9 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 1.8 प्रतिशत की गिरावट दर्शाते हुए दिसम्बर, 2019 के दौरान 27.4 बिलियन अमरीकी डालर रहा। भारत का आयात दिसम्बर, 2019 के दौरान 38.6 बिलियन अमरीकी डालर रहा जो दिसम्बर, 2018 में 42.4 बिलियन अमरीकी डालर के मूल्य स्तर पर आकर 8.8 प्रतिशत तक गिरा। भारत का तेल आयात दिसम्बर, 2019 के दौरान अक्तूबर 2018 की तुलना में क्रमशः 0.8 प्रतिशत और 11.6 प्रतिशत तक घट गया।

1.11 व्यापार घाटा दिसम्बर, 2018 के दौरान 14.5 बिलियन अमरीकी डालर के घाटे की तुलना में दिसम्बर, 2019 में 11.3 बिलियन अमरीकी डालर अनुमानित था।

1.12 नवम्बर, 2019 के दौरान सेवाओं का निर्यात और आयात क्रमश: 18.0 बिलियन अमरीकी डालर और 11.5 बिलियन अमरीकी डालर रहा। नवम्बर, 2019 के लिए सेवाओं में व्यापार संतुलन 6.5 बिलियन अमरीकी डालर अनुमानित है।

2. अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम

2.1 सेबी ने पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं के विनियमन हेतु केंद्र सरकार के परामर्श से, दिनांक 16.01.2020 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा नए सेबी (पोर्टफोलियो प्रबंधन) विनियम, 2020 को अधिसूचित कर दिया है।

2.2 वित्त (सं.2) अधिनियम, 2019 के एससीआरए, 1956 तथा ईबीआई अधिनियम, 1992 में संशोधन से संबंधित प्रावधानों को 20.01.2020 से दिनांक 20.01.2020 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा प्रवर्तित कर दिया गया है।

2.3 भारत सरकार से प्राप्त संदर्भों के अनुसार, सेबी ने 03 जनवरी, 2020 के परिपत्र के माध्यम से क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को, उस निर्गमकर्ता के लिखतों को दी गई रेटिंग घटाकर आईएनसी स्तर के साथ गैर-निवेश ग्रेड करने का अधिदेश दिया है, जो 6 महीने से अधिक अवधि से सहयोग नहीं कर रहे है। इसके अतिरिक्त, अगर किसी निर्गमकर्ता द्वारा रेटिंग घटाने की तिथि से लेकर और छह महीने तक असहयोग जारी रखा जाता है तो ऐसे निर्गमकर्ता को किसी भी सीआरए द्वारा तब तक नई रेटिंग नहीं दी जाएगी, जब तक वह निर्गमकर्ता सहयोग नहीं करता है अथवा रेटिंग वापस नहीं ले ली जाती है।

2.4 भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899

(i) केंद्र सरकार द्वारा नियत विचार-विमर्श के पश्चात् कारोबार करने को आसान बनाने की सुविधा देने तथा सभी राज्यों में प्रतिभूतियों पर स्टाम्प डयूटी को एकरूपता एवं वहनीयता में लाने के लिए एवं इसके द्वारा पूरे भारत में प्रतिभूति बाजार निर्मित करने के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 को वित्त अधिनियम, 2019 के जरिए संशोधित किया गया है।

(ii) राजस्व विभाग द्वारा जारी की गई दिनांक 10 दिसम्बर, 2019 की राजपत्र अधिसूचना के द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के संशोधित उपबंधों का 9 जनवरी, 2020 से लागू होना नियत हुआ था। इसके अतिरिक्त, संशोधित अधिनियम के अंतर्गत भारतीय स्टाम्प (स्टॉक एक्सचेंजों के जरिए स्टाम्प डयूटी का एकत्रीकरण, क्लीयरिंग कारपोरेशन एवं डिपॉजिटरी) नियम, 2019 स्टॉक एक्सचेंजों एवं डिपॉजिटरी में शुल्क जमा करने के लेनदेन के दस्तावेज के उत्तरदायित्व को विनियमित करने के लिए 10 दिसम्बर, 2019 को आधिकारिक राजपत्र में भी अधिसूचित किया गया था। नियम भी 9 जनवरी, 2020 से लागू होने थे। तथापि, 1 अप्रैल 2020 को लागू करने की तारीख को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया था क्योंकि "स्टॉक एक्सचेंज" के रूप में सीसीआईएल ट्रेडिंग प्लेटफार्म/ट्रेड रिपॉजिटरी घोषित करने के लिए म्युचुअल फंड के वास्तविक फोलियो का कार्य देखने वाले रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंटों (आरटीए) को "डिपॉजिटरी" के रूप में घोषित किए जाने हेतु अधिसूचना प्रक्रिया में थी।

(iii) इस दौरान राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 8 जनवरी, 2020 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत "कलेक्टिंग एजेंट" के रूप में कार्य करने के सीमित उद्देश्य हेतु "डिपॉजिटरी" के रूप में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निर्गम के लिए रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट) विनियम, 1993 के तहत पंजीकृत "स्टॉक एजेंट" के रूप में "प्राधिकृत ट्रेड डिपॉजिटरी" क्लीयरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया को अधिसूचित किया गया था।

(iv) सेबी ने दिनांक 16 जनवरी, 2020 के परिपत्र के द्वारा आगे पण्य व्युत्पन्न बाजार में इस नए उत्पाद के लिए उत्पाद डिजाइन एवं जोखिम प्रबंधन ढांचा निर्धारित करके माल में वैकल्पिक व्यापार करने को समर्थ बनाया है।

2.5 (i) राष्ट्रीय अवसंरचना योजना (एनआईपी) पर कार्यदल की पहली बैठक दिनांक 09.09.2019 को आयोजित हुई थी। इसके पश्चात, अवसंरचना विकास में लगे हुए विभिन्न, विभागों/मंत्रालयों, अवसंरचना विकास एवं निर्माण में लगे हुए कारपोरेट, बैंक/वित्तीय संस्थान, सीआईआई, फिक्की एवं एसोचेम सहित निजी इक्विटी निधियों एवं उद्योग संघ के साथ बहुत सी बैठकें आयोजित की गई थी।

(ii) राष्ट्रीय अवसंरचना योजना पर कार्यदल की रिपोर्ट का सारांश वित्त मंत्री द्वारा 31.12.2019 को जारी किया गया था। एनआईपी सारांश रिपोर्ट ने भारत में वित्त वर्ष 2020 से 2025 तक की अवधि के दौरान कुल 102 लाख करोड़ रुपये के अवसंरचना निवेश का अनुमान लगाया था। चूंकि अब केंद्रीय मंत्रालय एवं राज्य सरकारों से और अधिक आंकड़े उपलब्ध हो गए हैं, 28.01.2020 की स्थिति के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 2025 की अवधि के दौरान कुल अवसंरचना निवेश का अनुमान 111 लाख करोड़ रुपए का है।

(iii) ऋण संवर्धन कंपनी की संस्थापना पर मसौदा सीसीईए टिप्पणी संबंधित मंत्रालयों में परिचालित कर दिया गया है। यह पहल बैंकिंग क्षेत्र के जोखिम को कम करेगी, उनकी नई परियोजनाओं में अधिक निधि निवेश प्रारंभ करेगी, बंध पत्र बाजार से अवसंरचना निवेश को प्रोत्साहित करेगी तथा पेंशन और बीमा निधियों से अवसंरचना में लगाने हेतु लंबे अंतराल के लिए पूंजी को आकर्षित करेगी।

2.6 वित्त मंत्री के अनुमोदन से, जनवरी, 2020 के दौरान दो ऋण पत्र दिए गए हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित हैः

क्र.सं.	देश का नाम	मिलियन/अमरीकी डालर	परियोजना	अनुमोदन की तिथि
1.	निकारागुआ सरकार	20.1	शावारिआ अस्पताल के पुनर्निमाण हेतु	28.01.2020
2.	निकारागुआ सरकार	7.35	सिलैस लास मिनास की नगरपालिका में विभागीय अस्पताल के निर्माण हेतु	28.01.2020

2.7 (i) "स्टेट ऑफ महाराष्ट्राज एग्रीबिजनेस एण्ड रूरल ट्रांसफोर्मेशन प्रोजेक्ट" नामक परियोजना के लिए विधि करार पर 24.01.2020 को भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार तथा विश्व बैंक के बीच 210 मिलियन अमरीकी डालर (300 मिलियन अमरीकी डालर की कुल परियोजना लागत के साथ) की सहायता के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। परियोजना विकास का उद्देश्य है महाराष्ट्र में संयुक्त तथा प्रतिस्पर्धात्मक कृषि मूल्य श्रृंखला के विकास में सहयोग देना है जिसमें छोटे किसानों तथा कृषि उद्यमियों पर विशेष बल दिया जाएगा। इसे तकनीकी सेवाओं तथा जोखिम प्रबंधन क्षमताओं में संपूरक निवेश के साथ उत्पादकों तथा उद्यमों के लिए नये एवं व्यवस्थित बाजारों में पहुंच बढ़ाकर प्राप्त किया जाएगा।

(ii) "असम इन्लैंड वॉटर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट" नामक परियोजना के लिए विधि करार पर 16.01.2020 को भारत सरकार, असम सरकार तथा विश्व बैंक के बीच 88 मिलियन अमरीकी डालर (110 मिलियन अमरीकी डालर की कुल परियोजना लागत के साथ) की सहायता के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। परियोजना विकास के उद्देश्य हैं: क) असम में यात्री फैरी अवसंरचना तथा सेवा में सुधार ख) असम में अंतःदेशीय जल परिवहन के लिए संस्थागत क्षमता तथा रूपरेखा में सुधार करना।

2.8 2019-20 के बजट अनुमान की तुलना में दिसम्बर, 2019 तक का व्यय

दिसम्बर, 2019 के मासिक लेखों के अस्थायी अनअंकेक्षित विवरण के अनुसार, दिसम्बर, 2019 तक कुल गैर-ऋण प्राप्तियां 11,77,922 करोड़ रु. थीं जो बजट अनुमान 2018-19 के 62.6 प्रतिशत की तुलना में पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में बजट अनुमान 2019-20 का 56.6 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में 62.8 प्रतिशत की तुलना में 2019-20 में कुल राजस्व प्राप्तियां बजट अनुमान की 58.4 प्रतिशत थी। दिसंबर 2019 के अंत में सकल कर राजस्व बजट अनुमान का 56.2 प्रतिशत था (पिछले वर्ष की तदुनरूपी अवधि की तुलना में 62.7 प्रतिशत)। कर राजस्व (निवल) बजट अनुमान का 54.9 प्रतिशत था (पिछले वर्ष की तदुनरूपी अवधि की तुलना में 63.2 प्रतिशत) जबकि गैर-कर राजस्व प्राप्तियां बजट अनुमान का 77.3 प्रतिशत थी (पिछले वर्ष की तदुनरूपी अवधि की तुलना में 60.3 प्रतिशत)। गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां बजट अनुमान का 25.9 प्रतिशत थी (पिछले वर्ष की तदुनरूपी अवधि की तुलना में 50.5 प्रतिशत)। जहां तक व्यय का संबंध है, दिसंबर 2019 के अंत में कुल व्यय 21,09,647 करोड़ रुपये था जो कि बजट अनुमान का 75.7 प्रतिशत है (पिछले वर्ष की तदुनरूपी अवधि की तुलना में 75.0)। इसमें राजस्व व्यय बजट अनुमान का 75.7 प्रतिशत (पिछले वर्ष की तदुनरूपी अवधि की तुलना में 75.6 प्रतिशत) और पूंजी व्यय बजट अनुमान का 75.6 प्रतिशत (पिछले वर्ष की तदुनरूपी अवधि की तुलना में 70.6 प्रतिशत) शामिल है। पिछले वर्ष की तदुनरूपी अवधि की तुलना में ब्याज अदायगी बजट अनुमान के 73.1 प्रतिशत के स्थान पर 64.2 प्रतिशत थी।

2.9 जनवरी 2020 के माह के दौरान निम्नलिखित बैठकें हुई थीं:-

i. 13 जनवरी, 2020 को सचिव (आर्थिक प्रभाग) की एक बैठक उपाध्यक्ष दक्षिण एशिया क्षेत्र (एसएआर), वर्ल्ड बैंक ग्रुप के साथ हुई थी।

ii. श्री समीर कुमार खरे, एएस (एफबीऔर एडीबी) और कंट्री मैनेजर, आईएफसी एवं टीम और डीएफआईसी की टीम जिसमें सीईओ और सीएफओ शामिल है, की 14 जनवरी, 2020 को आईएफसी से लेन-देन पर सलाह की सेवाओं हेतु डीएफआईसी के प्रस्ताव पर बैठक हुई।

iii. 17 जनवरी, 2020 को श्री समीर खरे, एएस (एफबी और एडीबी) वर्ल्ड बैंक फाइनैंस टीम से एनबीएफसी पर बेसिल-।।। विनियामकों के प्रभाव और एमएसएमई में साख के प्रवाह पर बैठक हुई।

iv. श्री समीर कुमार खरे, एएस (एफबी एंड एडीबी) की एक बैठक कंट्री डायरेक्टर (भारत), वर्ल्ड बैंक के साथ 24 जनवरी, 2020 को माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को वर्ल्ड बैंक अध्यक्ष के पत्र पर कार्यान्वयन की चर्चा के लिए बैठक हुई।

v. श्री समीर कुमार खरे, एएस (एफबी एंड च्एडीबी) की कंट्री डायरेक्टर (भारत), वर्ल्ड बैंक से 30 जनवरी,2020 को वर्ष 2020-21 के प्रक्रियाधीन, राज्य भागीदारी और "साउथ एशियन एकीकरण के लिए ई-कॉमर्स की शुरूआत पर" वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट पर चर्चा के लिए बैठक हुई।

vi. श्री संजीव सान्याल, प्रमुख आर्थिक सलाहकार और उनकी टीम ने 2020 सऊदी प्रेसीडेंसी के अंतर्गत जी-20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप (एफडब्ल्यूजी) में 12-13 जनवरी 2020 को रियाध, सऊदी अरब के आयोजन में हिस्सा लिया।

vii. श्री पवन कुमार, निदेशक ने पहली जी-20 जीपीएफआई बैठक और सऊदी अरब प्रेसीडेंसी के अंतर्गत 22-24 जनवरी 2020 को रियाध, सऊदी अरब में आयोजित जीपीएफआई पर संगोष्ठी में भाग लिया।

viii. डॉ. आशिमा जैन, उप-सचिव और श्री हनीश छाबड़ा, उप-सचिव ने सऊदी जी-20 प्रेसीडेंसी के अंतर्गत वर्किंग ग्रुप की अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना (आईएफए) 30-31 जनवरी, 2020 को रियाध, सऊदी अरब में आयोजित पहली बैठक में भाग लिया।

ix. एसडीएफ बार्ड के निदेशको की 11वीं एफएसी बैठक 15 जनवरी,2020 को आयोजित हुआ, जबकि एसडीएफ बार्ड के निदेशकों की 32वीं बैठक 16-17 जनवरी, 2020 को आयोजित हुई। थिम्पू, भूटान में बैठकें आयोजित की गईं। भारत से निदेशक (आईईआर) श्री वीरेन्द्र सिंह ने एसडीएफ बोर्ड की इन बैठकों में भाग लिया।

3. न्यूनतम सरकार, अधिकतम अभिशासन

विशेषकर, सूचना के प्रस्तुतीकरण में आईसीटी के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

4. एसीसी के निदेशों/आदेशों का पालन न किया जाना

शून्य।

5. विभाग में माह के दौरान अनुमोदित प्रस्तावों एवं अनुमोदन हेतु प्रतीक्षारत एफडीआई प्रस्तावों की स्थिति

विभाग में अनुमोदन हेतु प्रतीक्षा : 06

****